

एचओ:बीआर:114:05

दिनांक: 05.01.2022

मा.सं.प्र. विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

भारत में स्थित सभी शाखाओं और कार्यालयों के लिए परिपत्र

महोदय/ महोदया,

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्टाफ पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत निवेश घोषणाओं का सत्यापन

हम आयकर गणना हेतु एक्स एम्प्लोई पोर्टल पर हमारे स्टाफ पेंशनभोगियों द्वारा निवेश की घोषणा प्रस्तुत करने के संदर्भ में अपने परिपत्र संख्या एचओ:बीआर:113:100 का दिनांक 10.05.2021 का संदर्भ देते हैं. तदनुसार, कई पेंशनभोगियों ने एक्स एम्प्लोई पोर्टल पर निवेश की घोषणा प्रस्तुत की है, जिसे शाखाओं द्वारा 25 जनवरी, 2022 से पूर्व अनुमोदित किया जाना है.

यदि एक्स एम्प्लोई पोर्टल पर की गई निवेश घोषणाएं अनुमोदित नहीं होती हैं, तो पेंशन पर टीडीएस की गणना पूरे वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी और जनवरी से मार्च 2022 तक देय पेंशन से इसकी कटौती की जाएगी.

एक्स एम्प्लोई पोर्टल में निवेश घोषणाओं को प्रमाणित करने हेतु शाखाओं को दिशानिर्देश:

स्टाफ पेंशनभोगियों द्वारा की गई निवेश घोषणाओं के सत्यापन के लिए एक्स एम्प्लोई पोर्टल का यूआरएल <https://smepaisa.bankofbaroda.co.in/ContMedicalAdmin/index.aspx> है.

अधिकारियों को निवेश घोषणाओं के अनुमोदन के लिए बीओबी डोमेन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करना है. (जॉब कार्ड इसके साथ संलग्न है)

1. निवेश घोषणाओं के स्व-प्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु पेंशनभोगी अपनी सुविधानुसार किसी भी शाखा में जा सकते हैं. पेंशनभोगी निवेश घोषणाओं के स्व-प्रमाणित प्रमाण पेंशन प्रदत्त शाखा को ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं.

1/1/22 4 9


2. किसी भी शाखा का कोई भी अधिकारी पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत निवेश घोषणाओं का अनुमोदन कर सकता है.

3. कर व्यवस्था चयन करने पर किसी बदलाव की अनुमति नहीं है.

शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे ईमेल द्वारा प्राप्त घोषणाओं को भी बिना किसी चूक के सत्यापित करें. प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन न होने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा.

इसकी एक प्रति शाखाओं और कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और सभी स्टाफ सदस्यों को इसकी विषय वस्तु से अवगत कराएं.

किसी भी स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन के लिए, कृपया हमें ईमेल द्वारा ईमेल आईडी pension.ho@bankofbaroda.com अथवा दूरभाष सं. 0265-2316640/6620 पर संपर्क करें.



एस कन्नन

प्रमुख (एचआरसीपीसी एवं सेवान्त लाभ)



ISSUED BY
HRM DEPARTMENT
HEAD OFFICE, BARODA

CIRCULAR TO ALL BRANCHES /OFFICES IN INDIA

Sir/Madam,

Re: Verification of investment declarations furnished by staff pensioners for the financial year 2021-22

We refer to our Circular No.HO:BR:113:100 dated 10.05.2021 on submission of investment declaration for Income Tax calculation by our staff pensioners in Ex-Employee portal. Accordingly many pensioners have submitted investment declaration in Ex-Employee portal which is to be approved by branches before 25th January, 2022.

In case investment declarations made in Ex-Employee portal are not approved, TDS on pension will be calculated for entire financial year and deducted from the pension payable from January to March 2022.

Guidelines to branches for authorizing Investment Declaration in ex-employee portal:

URL of Ex-Employee portal for verification of investment declarations made by Staff pensioners is <https://smepaisa.bankofbaroda.co.in/ContMedicalAdmin/index.aspx>

Officers to login using **BOB Domain ID** and **Password** for approval of investment declarations (Job Card Attached herewith).

1. Pensioners can visit **any** branch as per his/her convenience for submission of self-attested proofs of investment declarations. Pensioners can submit self-attested proofs of investment declarations through e-mail to pension paying branch as well.

2. **Any officer** of **any branch** can approve investment declarations made by pensioner.

3. **No change of tax-regime once chosen is allowed.**

Branches are advised to verify Declarations received by email also without fail. Any grievance of non-verification of documents submitted will be viewed seriously.

A copy of this may be displayed on notice board at branches and offices and all staff members is to be sensitized on this issue.

In case of any clarification/guidance, please reach out to us over mail at pension.ho@bankofbaroda.com or telephone at 0265-2316640/6620


S Kannan
Head (HRCPC & Terminal Benefits)